| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | फाल्गुन 12, शुक्रवार, शाके 1944-मार्च 03, 2023<br>*Phalguna 12, Friday , Saka 1944- March 03, 2023* | |


**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर राजस्थान (पथ)**

अधिसूचना

**जयपुर, फरवरी 28, 2023**

**संख्या प.7(693)एसएचए/पीपीपी/2021-22/डी-2429** यत: राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि मथानिया-तिंवरी-देचू एस.एच.-61बी एवं जोधपुर-तिंवरी एस.एच.-95 सड़क परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण व्यक्तियों का गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है।

अत: अब भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा-43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मथानिया-तिंवरी-देचू एस.एच.-61बी एवं जोधपुर-तिंवरी एस.एच.-95 सड़क परियोजना के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी – जोधपुर (उत्तर), ओसिंया, बालेसर एवं देचू, जिला - जोधपुर को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

**राज्यपाल के आदेश से,**
सुनील गुप्ता,
**संयुक्त सचिव (पथ),**
**सा.नि. विभाग, राजस्थान जयपुर।**



**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**